रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1975/भाद्र 7, 1897
No. 238] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1975/BHADRA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 29th August 1975

NOTIFICATION

G.S.R. 470(E).—The following draft of rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the expiry of the period so specified; will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1975.

2. In the Insecticides Rules, 1971, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) A licence to manufacture insecticides shall be issued in Form V and shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) The licence and any certificate of renewal shall be kept on the approved premises and shall be produced for inspection at the request of an Insecticides Inspector appointed under the Act or any other officer or authority authorised by the Licensing Officer.

(ii) Any change in the expert staff named in the licence shall forthwith be reported to the Licensing Officer.

(iii) If the licensee wants to undertake during the currency of the licence to manufacture for sale additional insecticides, he shall apply to the Licensing Officer for the necessary endorsement in the licence on payment of the prescribed fee for every category of insecticides.

(iv) An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11.

(v) The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force."

3. In rule 10 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) A licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be issued in Form VIII and shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) The licence shall be displayed in a prominent place in the part of the premises open to the public.

(ii) The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force.

(iii) No sale of any insecticide shall be made to a person not holding a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute the insecticide;

Provided that this condition shall not apply to the sale of any insecticide to an officer or authority purchasing the same on behalf of the Government.

(iv) An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11."

4. In rule 12 of the said rules, for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(a) Subject to conditions laid down in sub-rule (3) of rule 9 and sub-rule (4) of rule 10, a licence shall not be granted to any person under this Chapter unless the Licensing Officer is satisfied that the premises in respect of which licence is to be granted are adequate and equipped with proper storage accommodation for avoiding any hazards for preserving the properties of insecticides in respect of which the licence is granted."

5. In Form V appended to the said rules,—

(a) for condition 4, the following condition shall be substituted, namely:—

"4. An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11.";

(b) after condition 4, the following condition shall be inserted, namely:—

"5. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force."

6. In Form VIII appended to the said rules, after condition 3, the following condition shall be inserted, namely :—

"4. An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11."

[No. 22-27/72-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 470(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा-

है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । यह भी सूचना दी जाती है कि जिस तारीख को जन साधारण को उस राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध हो जाती हैं जिसमें कि यह सूचना प्रकाशित की जाए, उस तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारंभ

1. इन नियमों का नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1976 है ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 9 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(3) कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रारूप 5 में जारी की जाएगी और वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(i) अनुज्ञप्ति और उसके नवीकरण का कोई भी प्रमाण-पत्र अनुमोदित परिसर पर रखा जाएगा और अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त कीटनाशी निरीक्षक अथवा अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के निवेदन पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) अनुज्ञप्ति में उल्लिखित विशेष ज्ञीय कर्मचारिवृन्द में कोई परिवर्तन होने पर उसकी रिपोर्ट अविलम्ब अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी ।

(iii) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान कुछ और कीटनाशियों का विनिर्माण विक्रय के लिए करना चाहता है तो उसे कीटनाशी के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विहित फीस का संदाय करने पर अनुज्ञप्ति में आवश्यक पृष्ठांकन कराने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन करना होगा/उल्लिखित करना होगा ।

(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन नियम 11 में उल्लिखित के अनुसार किया जाएगा ।

(v) अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा' ।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

(4) कीटनाशियों के विक्रय, भाण्डारकरण, विक्रय के लिये प्रदर्शन या वितरण के लिये अनुज्ञप्ति प्रारूप 8 में जारी की जाएगी और वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(i) अनुज्ञप्ति परिसर के उस भाग में, जो जनसाधारण के लिए खुला हुआ हो, सहजदृष्ट स्थान पर लगाई जाएगी ।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा,

(iii) किसी भी कीटनाशी का कोई विक्रय ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसके पास कीटनाशियों के विक्रय, भाण्डारकरण या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति न हो :

परन्तु यह शर्त सरकार की ओर से कीटनाशी का क्रय करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को कीटनाशियों के विक्रय पर लागू नहीं होगी ।

(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन नियम 11 में उल्लिखित के अनुसार किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

'(क) नियम 9 के उपनियम (3) और नियम 10 के उपनियम (4) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन कोई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि यह परिसर, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति मँजूर की जानी है, यथेष्ट है और भाण्डारकरण के लिये समुचित स्थान वाला है ताकि इन कीटनाशियों के, जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, मूल गुणों के परिरक्षण में कोई कठिनाई न हो ।'

5. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 5 में,—

(क) शर्त 4 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएग , अर्थात :—

'4. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित के अनुसार किया जाएगा ।;

(ख) शर्त 4 के पश्चात, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

'5. अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत नियमों का अनुपालन करेगा ।'

6. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 8 में, शर्त 3 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

'4. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित के अनुसार किया जाएगा ।'

[सं० 22-27/72-पी०पी०एस०एस०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975